संख्या– 03/2024/ए-1- 38/दस-2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, कोषागार, उ.प्र., जवाहर भवन, लखनऊ।

2- निदेशक, पेंशन, उ.प्र., इन्दिरा भवन, लखनऊ।

3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ.प्र.।

4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र.।

5- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ.प्र.।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 07 मार्च, 2024

विषय: लम्बी अवधि से अनाहरित/अवशेष पेंशन भुगतान के प्रकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-1482/दस-96-10(4)/95, दिनांक 10 सितम्बर, 1996 व शासनादेश संख्या-16/2019/ए-1-1137/दस-2019-10(23)/95, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवशेष पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-ए-1-1482/दस-96-10(4)/95, दिनांक 10 सितम्बर, 1996 निर्गत किया है, जिसमें व्यवस्था है कि यदि पेंशन का आहरण 01 वर्ष से अधिक और 02 वर्ष तक नहीं किया गया है तो पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही सम्बन्धित जिलाधिकारी की अनुमति से 02 वर्ष तक के बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन का आहरण पुन: शुरू किया जा सकेगा, इसी प्रकार यदि पेंशन का आहरण 02 वर्ष से अधिक और 06 वर्ष तक नहीं किया गया है, तो सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अनुमति से 06 वर्ष तक के बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन का आहरण पुन: शुरू किया जा सकेगा, उक्त अवधि से ऊपर के पेंशन अवशेष भुगतान/पेंशन के पुनर्आहरण के प्रकरणों में शासन की स्वीकृति/आदेश प्राप्त करने होगें।

3- लम्बी अवधि से अनाहरित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-16/2019/ए-1-1137/दस-2019-10(23)/95, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 निर्गत किया गया है, जिसमें कोषागार से पेंशन आहरण के ऐसे सभी प्रकरण जिनमें 03 वर्ष से अधिक अवधि की पेंशन का आहरण न हुआ हो, अथवा मृत्यु के 01 वर्ष के भीतर भुगतान का दावा प्रस्तुत न किया गया हो, के पेंशन भुगतानादेश (पी.पी.ओ.) की कोषागार की प्रति पी.पी.ओ. निर्गत करने वाले प्राधिकारी को वापस करते हुये पेंशनर डाटाबेस से ऐसे पेंशनर का रिकॉर्ड डीलीट मार्क किये जाने की व्यवस्था है।

4- शासनादेशों में उक्तवत व्यवस्था होने के पश्चात् भी शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि पेंशन भुगतान सम्बन्धी ऐसे प्रकरण अभी भी शासन में प्राप्त हो रहें हैं, जिनमें पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान छ: वर्ष से अधिक अवधि से नहीं किया गया है। उपर्युक्त वर्णित स्थिति में लम्बी अवधि से अनाहरित/अवशेष पेंशन भुगतान के प्रकरणों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

5- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लम्बी अवधि से अनाहरित/अवशेष पेंशन भुगतान के प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय-

(1) सी.एस.आर. के प्रस्तर-957 के नीचे अंकित राज्य सरकार के निर्णय बिन्दु (3) में यह व्यवस्था है कि यदि पेंशन का आहरण नियमित रूप से नहीं किया जाता है और उसकी अवधि अंतिम आहरण के एक वर्ष से अधिक नहीं है तो उसका भुगतान कोषाधिकारी अपने प्राधिकार से कर सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान के ऐसे सभी प्रकरण जिनमें पेंशन का आहरण 03 वर्ष तक नहीं किया गया है, उसमें शासनादेश संख्या-ए-1-1482/दस-96-10(4)/95, दिनांक 10 सितम्बर, 1996 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जाय, जिसके अनुसार यदि पेंशन का आहरण 01 वर्ष से अधिक और 02 वर्ष तक नहीं किया गया है तो पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही सम्बन्धित जिलाधिकारी की अनुमति से 02 वर्ष तक के बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन का आहरण पुन: शुरू किया जा सकेगा, इसी प्रकार यदि पेंशन का आहरण 02 वर्ष से अधिक और 03 वर्ष तक नहीं किया गया है, तो सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अनुमति से बकाया पेंशन का भुगतान एवं पेंशन का पुन: आहरण शुरू किया जा सकेगा। शासनादेश संख्या-ए-1-1482/दस-96-10(4)/95, दिनांक 10 सितम्बर, 1996 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(3) पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान के ऐसे सभी प्रकरण जिनमें पेंशन का आहरण 03 वर्ष से अधिक अवधि से नहीं किया गया है अथवा मृत्यु के 01 वर्ष के भीतर भुगतान का दावा प्रस्तुत न किया गया हो तो पेंशन भुगतान में शासनादेश संख्या-16/2019/ए-1-1137/दस-2019-10(23)/95, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जाय।

(4) अवशेष पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान के प्रकरणों में भुगतान किये जाने से पूर्व पेंशन का आहरण अब तक न किये जाने के कारणों की समुचित जॉच कराकर सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय अन्यथा गलत/फर्जी भुगतान हेतु मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(5) शासनादेश संख्या-16/2019/ए-1-1137/दस-2019-10(23)/95, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 में दी गयी व्यवस्था कोषागार से पेंशन का आहरण करने वाले सभी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होगी।

कृपया अवशेष पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान के प्रकरणों में उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिससे लम्बी अवधि से अनाहरित अथवा मृत्यु के 01 वर्ष के भीतर भुगतान का दावा प्रस्तुत न करने वाले प्रकरणों में पेंशन का भुगतान शीघ्र किया जा सके।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 03/2024/ए-1- 38/दस-2024-, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
(2) समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी,उ.प्र.।
(3) निदेशक, NIC योजना भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) समस्त विभागों के वित्त नियन्त्रक।
(6) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,
विवेक त्रिपाठी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।